वशिष योग्यजन बच्चों के अधिकारों एवं योजनाओं की जाँच हेतु स्कूलों के नरीक्षण का वशिष अभियान शुरू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के वशिष योग्यजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने वशिष योग्यजन वद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योजनाओं की पालना की जाँच के लयि स्कूलों के नरीक्षण का वशिष अभियान आरंभ कयि कयि है। इनके नेतृत्व में अभियान की शुरुआत प्रदेश के उदयपुर ज़लि से हुई।

प्रमुख बदि

- वशिष योग्यजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सामाजकि न्याय एवं अधकारति वभाग तथा बाल अधकारति वभाग की संयुक्त टीम द्वारा उदयपुर शहर के 3 स्कूलों के नरीक्षण के साथ इसकी शुरुआत हुई।
- सभी सरकारी एवं नजी वद्यालयों के भवनों एवं व्यवस्थाओं का नरीक्षण कयि जा रहा है। नरीक्षण के दौरान देखा जा रहा है कि वशिष योग्यजन बच्चों के लयि स्कूलों के भवन एवं व्यवस्थाएँ कतिने अनुकूल हैं।
- इसके तहत स्कूलों के कक्षा कक्ष परसिर, शौचालय, कैफेटेरयि, बैठने की व्यवस्था, प्रवेश द्वार, लफि्ट, पेयजल, आपातकाल नकिासी एवं रैंप की व्यवस्था सहति 75 पैरामीटर की गहनता से जाँच की जा रही है। नरीक्षण के दौरान वद्यालय प्रबंधन को वशिष योग्यजन बच्चों का पूरा ख्याल रखने के नर्दिश जारी कयि जा रहे हैं।
- उमाशंकर शर्मा ने बताया कि जाँच के दौरान शक्षि का अधकािर अधनियिम- 2009 के तहत वद्यालयों में वशिष योग्यजन बच्चों के प्रवेश की भी जाँच की जा रही है एवं वद्यालयों को इस अधनियिम के तहत नयिमानुसार वशिष योग्यजन बच्चों को प्रवेश देने हेतु पाबंद कयि जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि उदयपुर में मुख्य ज़लि शक्षि अधकिारी द्वारा सभी वद्यालयों की जाँच के आदेश दे दयि गए हैं। आदेश के अनुसार ज़लि के सभी पीईईओ को अपने अधीनस्थ वद्यालयों का नरीक्षण करना है। जो वद्यालय वशिष योग्यजन बच्चों के अनुकूल नहीं पाया जाएगा उस पर नयिमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इस अभियान का उद्देश्य राज्य के समस्त वद्यालयों को वशिष योग्यजन बच्चों के अनुकूल बनाना है जसिसे कि वे भी आसानी से शक्षि ग्रहण कर सक्षम नागरकि बन सकें।
- वशिष योग्यजन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में पहली बार इस तरह का अभियान शुरू कयि गया है जसिके तहत हर वद्यालय को वशिष योग्यजन बच्चों के अनुकूल बनाने का प्रयास कयि जा रहा है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-campaign-for-inspection-of-schools-started-to-check-the-rights-and-schemes-of-specially-abled-children